न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **198/2025** — दायर दिनाँक **30.05.2025**

वादीया		प्रतिवादी
1. सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खारडिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री विकास सैनी एडवोकेट वादीया।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.08.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खारड़िया के खेत खसरा संख्या 404 रकबा 0.0200 है. बारानी 2 व खसरा संख्या 405 रकबा 0.7700 है. बारानी 2 की भूमि वादीया के पैतृक खातेदारी व हक अधिकार की है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों की भूल/सहवन से वादीया का नाम शशिकला पत्नी गोपालप्रसाद गलत अंकित कर दिया गया है जबकि वादीया के सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में वादिया का नाम सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद दर्ज है। वादीया का नाम खतौनी में उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में गलत नाम शशिकला पत्नी गोपालप्रसाद होने के कारण अत्यधिक असुविधा व पेरशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः वादीया का उक्त भूमि में गलत नाम शशिकला पत्नी गोपालप्रसाद के स्थान पर सही नाम सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद दर्ज किया जावें।

वादीया की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम खारड़िया के खेत खसरा संख्या 404 रकबा 0.0200 है. बारानी 2 व खसरा संख्या 405 रकबा 0.7700 है. बारानी 2 में शशिकला पत्नी गोपालप्रसाद के स्थान पर सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थीया सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(11)रीडर/2025/421 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादीया की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीया ने राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया राजस्व ग्राम खारड़िया के खेत [illegible] 404 खसरा संख्या 405 में वादीया अपना नाम शशिकला [illegible] सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रही है। [illegible]लदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खारडिया के खसरा नम्बर 404 व 405 का खातेदारी विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2010 से नामान्तकरण संख्या 281 दिनांक 2[illegible].2011 से शशिकला पत्नि गोपालप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी खारडिया के नाम दर्ज हुयी है। शशिकला पत्नि गोपालराम का वास्तविक नाम सरस्वती शर्मा पत्नि गोपाल शर्मा है। उक्त नामान्तरकरण में

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested

नाम शशिकला पत्नि गोपालप्रसाद दर्ज हुआ है जबकि वादीया गलत अंकन होने का कथन कर रही है। वादीया के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादीया किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादीया के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादीया के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादीया का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद खारड़िया के खसरा संख्या 404 व 405 में वादीया शशिकला पत्नी गोपालप्रसाद के स्थान पर सरस्वती शर्मा पत्नी गोपालप्रसाद दुरूस्ती बाबत वादीया का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक 13.08.2025 को सरे, इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:39 IST
Reason: SelfAttested